झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

तृतीय झारखण्ड विधान सभा — दशम् (शीतकालीन) सत्र

संख्या-03 — मंगलवार, दिनांक- 04 दिसम्बर, 2012 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.14 बजे अपराह्न तक

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर नगड़ी में जमीन अधिग्रहण मामले को लेकर शोरगुल करने लगे। कतिपय विपक्ष के माननीय सदस्य अपने अपने हाथ में धान की बाली लेकर नारा लगाने लगे। कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य आसन की ओर आकर कुछ कहने लगे। सत्ता पथ के कतिपय माननीय सदस्य इसके विरोधस्वरूप कुछ कहने लगे जो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। आसन द्वारा प्रश्नकाल बाधित नहीं करने की बार-बार अपील की गयी, लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा इसकी अनसुनी कर दी गयी। माननीय सदस्य, श्री बंधु तिर्की नारा लगाते हुए सदन की वेल में आ गये। अतएव सदन में व्याप्त अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।)

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर पक्ष-विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कह रहे थे जो शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था। इस बीच माननीय नेता, प्रतिपक्ष द्वारा सदन के बाहर धरने पर बैठे माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र साव को ससम्मान अंदर ले आने हेतु आसन से आग्रह किया गया। आसन द्वारा माननीय मंत्री, श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया तदुपरांत माननीय सदस्य, श्री योगेन्द्र साव सदन के अन्दर लाये गये।)

1. शून्यकालः-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने द्वारा दिये गये शून्यकाल की सूचनाओं को बारी-बारी से पढ़ा-

श्री जगरनाथ महतो,
श्री विद्युतवरण महतो,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री उमाशंकर अकेला,
श्री रामदास सोरेन,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्रीमती गीताश्री उरांव,
श्री गुरुचरण नायक,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री बिदेश सिंह,
श्री बिनोद कुमार सिंह,
श्री अरुप चटर्जी,
श्रीमती सुधा चौधरी,
श्री कमल किशोर भगत,
श्री योगेन्द्र साव,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,
श्री प्रदीप यादव,
श्री कमलेश उरांव,
श्री अरूण मण्डल,
श्री बंधु तिर्की,
श्री अनंत प्रताप देव,
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री समरेश सिंह,
श्री लक्ष्मण गिलुवा,
श्री राजेश रंजन एवं
श्री सौरभ नारायण सिंह।

2. विविध चर्चायें:-

i- माननीय सदस्य श्री रघुवर दास ने विधायक निधि की राशि को निर्गत किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन द्वारा माननीय वित्त मंत्री को 2.00 बजे अपराह्न में इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति सदन में स्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया।

ii- माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम ने विधायक निधि की राशि, बढ़ती हुई महँगाई के मद्देनजर तीन करोड़ से बढ़ाकर पाँच करोड़ रु० किये जाने हेतु अनुरोध किया। आसन द्वारा इसे संज्ञान में लिये जाने हेतु सरकार को निदेश दिया गया।

iii- माननीय सदस्य श्री सुरेश पासवान ने वर्ष- 2012 में बनी विस्थापन नीति की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसी के अनुरूप नौकरी दिये जाने हेतु आग्रह किया।

iv- माननीय सदस्य श्री अनंत प्रताप देव ने राज्य में राशन कार्ड के वितरण में हो रहे विलम्ब की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया।

v- माननीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद भैया ने दिनांक- 03 एवं 04 दिसम्बर, 2012 को सूचीबद्ध प्रश्नों के फेट के सम्बन्ध में जिज्ञासा जाहिर की। आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उक्त सभी प्रश्नों को अतारांकित के रूप में भेज दिया गया है।

3.ध्यानाकर्षण सूचनायें एवं उसपर सरकारी वक्तव्य:-

माननीय सदस्य श्री शशांक शेखर भोक्ता द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

भारतीय संविधान की धारा- 323(2) के अधीन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से प्राप्त वर्ष- 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय प्रभारी मंत्री, श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सदन पटल पर रखा गया।

5.प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

क- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम- 216(1) के तहत सभापति, द्वारा सरकारी आश्वासन समिति का 19वाँ प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।

ख- पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा शून्यकाल की सूचनाओं पर संकलित उत्तरों की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री निर्भय कुमार शाहाबादी ने बढ़ती हुई महँगाई पर विचार करने का अनुरोध किया। अन्तराल के पूर्व आसन द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विधायक निधि का मामला उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है।)

6.विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री श्री वैद्यनाथ राम द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में संशोधन के साथ विधेयक के अध्याय- 2 के खण्ड- 3, अध्याय- 3 के खण्ड- 4, एवं खण्ड- 5 से लेकर 13 तक, अध्याय- 4 के खण्ड- 14 एवं 15, अध्याय- 5 के खण्ड- 16 से लेकर 22 तक, अध्याय- 6 के खण्ड- 23 एवं 24, अध्याय- 7 के खण्ड- 25 से 34(अनुसूची), अध्याय- 1 के खण्ड- 1 एवं 2, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7.नियमन का दिया जाना:-

ए.सी.-डी.सी. बिल के कारण निर्गत नहीं हो रही विधायक निधि के सम्बन्ध में राज्य के सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्तों को अविलम्ब निदान हेतु आसन से गत सत्र में दिनांक- 06.09.2012 को दिये गये नियमन को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुन: पढ़कर सदन को अवगत कराया गया तत्पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी।

इसके उपरांत सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक- 05.12.2012 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 4 दिसम्बर, 2012

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।